न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर म0प्र0

निग/2988/PBR/15

रतनसिंह पिता धनसिंह राजपूत आयु 62 वर्ष
धन्धा–खेती, निवासी–राजपुरा, तह. सरदारपुर
जिला धार म0प्र0 ...निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार सरदारपुर ...विपक्षी

निगरानी अर्ज धारा 50 भू.रा.सं. 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में विनम्रता से अर्ज है कि ग्राम [redacted] की भूमि सर्वे नं. 334/3, 334/5, 337/2 कमशः रकबा 1.432 हे., 0.157 हे., 0.157 हे. उक्त भूमि के संबंध में विधिक रूप से नपती की कार्यवाही होकर उक्त भूमि के संबंध में बराबर नक्शा नहीं रखा, बराबर अड़ोसी पड़ोसी को सुना नहीं और उनकों चाहिये था कि वे मात्र चिन्ह कर सकते थे । हक और कब्जे के बारे में करने का ज्यूडिशियल उन्हें नही है यह बात उन्होनें पंचनामा दिनांक 10/06/2015 में बढ़ा दी जो अल्ट्रेशन है वह लाईन सुस्पष्ट दिखती है याने उन्होनें छल किया है । ऐसी दशा में यह कार्य उनका विधिक नहीं है उन्होनें विवाद खड़ा कर दिया है ऐसी दशा में राजस्व प्रकरण कमांक 23/2014–15/अ 12 में आज्ञा दिनांक 30/06/2015 द्वारा तहसीलदार सरदारपुर के समक्ष ऐसी मनचाही बढ़ाई हुई अधिकारों के परे जाकर बढ़ाई हुए समस्त पंचनामा रिपोर्ट छल लिये हुए है । अतः ऐसी असहमत कार्यवाही अपास्त करना थी । अतः मैं स्वयं अपनी कार्यवाही जिसमें पटवारी राजस्व निरीक्षक ने छलयुक्त कार्य किया है काटछांट की है अतः संपूर्ण कार्यवाही अपास्त बाबद यह निगरानी अर्ज है । अन्दर अवधि समस्त कार्यवाही अपास्त बाबद पंचनामा रिपोट व नक्षा आदि और उसमें उल्लेख ओर अंतिम आज्ञा समाप्त कर मूल कार्यवाही समाप्त बाबद यह निगरानी मुझ प्रार्थी द्वारा पेश है जो निम्न आधारो पर सदर पेश है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक **निगरानी 2988–अध्यक्ष / 2015** **जिला धार**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–03–2017	उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया । आवेदकपक्ष तहसील न्यायालय द्वारा किये गये सीमांकन से संतुष्ट नहीं है । अतः इस प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदक की उपस्थिति में दुबारा प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन किये जाने की कार्यवाही करें । अध्यक्ष	